प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.10.2024

- **अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।**
- **थाना बरौर पुलिस द्वारा थाना बरौर व थाना गजनेर क्षेत्रान्तर्गत बकरी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी 05 बकरी व घटना में प्रयुक्त 01 अदद Hyundai Aura गाड़ी नं0- UP78 HB 8862 (रंग सफेद) बरामद की गयी।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बरौर पुलिस द्वारा थाना बरौर व थाना गजनेर क्षेत्रान्तर्गत बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 नफर शातिर अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र रामनरेश वर्मा निवासी हाल पता श्यामजी पुरम आईआईटी सोसाइटी थाना कल्यानपुर कानपुर नगर मूल निवासी टीवीएस एजेन्सी के पास कस्बा व थाना ठठिया जनपद कन्नौज 2. अर्जुन वाल्मिकी पुत्र नरेश निवासी हाल पता धर्मा पट्रोल पम्प के पीछे एसपीएम हास्पिटल वाली गली इन्द्रानगर थाना कल्यानपुर कानपुर नगर मूल निवासी सब्जी मण्डी भौरोटी टोला नवाबगंज थाना नवाबगंज कानपुर नगर को मय चोरी की गयी 05 बकरी व घटना में प्रयुक्त Hyundai Aura गाड़ी नं0- UP78 HB 8862 (रंग सफेद) एवं अभियुक्तगण की जामा तलाशी से 42,900 /- रुपये नगद के साथ ग्राम नेरा कृपालपुर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना बरौर पर मु0अ0स0-59/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग दिन में गांव गांव जाकर ऐसे 3-4 स्थानों की पहचान कर लेते हैं जहां पर एकांत में बकरी बांधी जाती है तथा आने जाने के अपने सुगम रास्ते की जानकारी कर लेते हैं। हम लोग रात्रि में उक्त किसी स्थान से मौका पाकर कार में बकरी चोरी कर ले जाते हैं तथा उन्हें बेच कर हिस्सा बांट लेते हैं। चोरी किया हुआ कुछ माल हम मण्डियों में बेच देते हैं व कुछ माल चलते फिरते व्यक्तियों को बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. राहुल पुत्र रामनरेश वर्मा निवासी हाल पता श्यामजी पुरम आईआईटी सोसाइटी थाना कल्यानपुर कानपुर नगर मूल निवासी टीवीएस एजेन्सी के पास कस्बा व थाना ठठिया जनपद कन्नौज।
2. अर्जुन वाल्मिकी पुत्र नरेश निवासी हाल पता धर्मा पट्रोल पम्प के पीछे एसपीएम हास्पिटल वाली गली इन्द्रानगर थाना कल्यानपुर कानपुर नगर मूल निवासी सब्जी मण्डी भौरोटी टोला नवाबगंज थाना नवाबगंज कानपुर नगर।

बरामदगी –

1. 05 बकरी (कीमत करीब 50,000/- रूपये)
2. जामा तलाशी से अभियुक्तगण के पास से 42,900 /- रुपये बरामद
3. घटना में प्रयुक्त **Hyundai Aura गाड़ी नं0- UP78 HB 8862 (रंग सफेद)**

अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 59/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0स0 224/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त अर्जुन वाल्मिकी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 59/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0स0 224/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना बरौर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री कालीचरन कुशवाहा
2. हे0का0 465 योगेन्द्र सिंह
3. हे0का0 642 यशवीर सिंह
4. हे0का0 458 समर सिंह
5. का0 1025 कुलदीप कुमार